भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(पी.एच अनुभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक 29 .10.2021

विषय: - राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी), नई दिल्ली में स्टोर ऑफिसर (ग्रुप 'बी' राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन पर सार्वजनिक सूचना।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन के अनुपालन में सं. एबी.14017/61/2008-स्था। (आरआर) दिनांक 13.10.2015, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) दिल्ली-110054 में स्टोर ऑफिसर (ग्रुप 'बी' राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती नियमों से युक्त मसौदा अधिसूचना संलग्न है।

2 मसौदा भर्ती नियमों पर कोई आपत्ति/टिप्पणी या सुझाव देने के इच्छुक हितधारक, श्री मनीष कुमार, अवर सचिव, मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कमरा नं. 752-A विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 या ईमेल पता manish.kr01@gov.in publichealth2@yahoo.com

(मनीष कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष–011-23063068

[भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (1) में प्रकाशानार्थ]

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)
(स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय)

<u>अधिसूचना</u>

नई दिल्ली, ...2021

सा.का.नि.................................... राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्ध द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान , दिल्ली में (श्रेणी–ख पद) भर्ती नियम 1977, जब तक ये नियम **भंडार अधिकारी** (क्रम.सं. 2) के संबंध में हैं, से संबंधित कार्य जो हो चुके हैं या नहीं करने हैं को स्थगित करते हुए, इसके स्थान पर राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र, एन.सी.डी.सी. दिल्ली में **भंडार अधिकारी, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र, दिल्ली के** पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिये स्वा.सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम – **राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द,** स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम–2020.
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद–संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** : पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर या उक्त पदो के साथ संलग्न वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि** – भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **आयोग्यता** – वह व्यक्ति–

क जिसने ऐसे किसी व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है **;** या

ख जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा **;**

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति** – जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या उचित है, हो सकता है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, एवं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति** – इन नियमों का, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं होगा, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

फाईल सं. ए.12018/17/2019– **पीआरसी**(भंडार अधिकारी)

मनीष

(मनीष कुमार)
अवर सचिव, भारत सरका

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
भंडार अधिकारी, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र, दिल्ली	1. (2020) कार्य के आधार पर निर्भर करता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अनु–सचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (44900–142400 रूपए) में स्तर–7	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिये छूट) **टिप्पण** :– आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि आसाम, मेघालय, अरूणांचल प्रदेश, मिजोरम, मणीपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर के लद्दाख मंडल, लाहौल एवं स्पीति जिले तथा हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले के पांगी उप–मंडल, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभर्थियों के लिए विहित की गई है) ।	**आवश्यक :** क. 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री । 2. केन्द्रीय / राज्य सरकार / स्वायत्त / सांविधानिक संस्थान / सार्वजनिक क्षेत्र / विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्थान / बैंक या निजी क्षेत्र संस्थान (भारत के स्टॉक एक्सचेंज में अनुसूचित) में भंडार संभालने, लेखा एवं भंडार सामग्री जारी करने, चिकित्सा उपकरणों के भंडारण को प्राथमिकता का 3 वर्ष का अनुभव । या ख 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक डिग्री । 2. केन्द्रीय / राज्य सरकार / स्वायत्त / सांविधानिक संस्थान / सार्वजनिक क्षेत्र / विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्थान / बैंक या निजी क्षेत्र संस्थान (भारत के स्टॉक एक्सचेंज में अनुसूचित) में भंडार संभालने, लेखा एवं भंडार सामग्री जारी करने, चिकित्सा उपकरणों के भंडारण को प्राथमिकता का 5 वर्ष का अनुभव । अनुभव संबंधी अर्हताएं कर्मचारी संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित

						जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रण पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभयर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है । **वांछनीय :–** 1. सरकारी नियमों की जानकारी । 2. आयात/निर्यात के नियमों/प्रकियाओं संबंधी जानकारी ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	दो वर्ष । सीधी भर्ती के लिये	सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।
(11)
लागू नहीं होता ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
1. समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (सीधी भर्ती के संबंध में विचार करने के लिए) नोटः पुष्टि से संबंधित मामलों में विभागीय पदोन्नति समिति बैठक का गठन निम्न प्रकार से हो सकता है:– 1. अतिरिक्त निदेशक, एन.सी.डी.सी.––––अध्यक्ष 2. संयुक्त.–निदेशक, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र –––– सदस्य 3. उप–निदेशक (प्रशासन) (स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय) ––––––सदस्य 4. सहा. निदेशक (प्रशासन)/प्रशासनिक अधिकारी, (एन.सी.डी.सी.)–––––––––––सदस्य	हर बार चयन से पहले संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक होगा ।

फाईल सं. ए.12018/17/2019– पीआरसी(भंडार अधिकारी)

मनीष

(मनीष कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार